




INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN: NEW DELHI

F. No. GAC/21-21/2014-CDN

22nd
Dated the 16th Sept., 2014

ENDORSEMENT

Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India, New Delhi has issued Notification regarding Amendment to CCS (Pension) Rules, 1972. As approved by the competent authority, the Notification No. 1/19/2013-P&PW(E) dated 29.8.2014 has been uploaded on the ICAR web-site www.icar.org.in and e-office for information and compliance.


(J.N. Bhagat)

Under Secretary (GAC)

DISTRIBUTION :-

1. All Directors/Project Directors of all ICAR Institutes/National Research Centres/Project Coordinators/Coordinated Research Projects/Zonal Project Coordinators/Bureaux
2. Sr.PPS to DG, ICAR/PPS to Secretary, ICAR/PPS to FA (DARE).
3. Chairman ASRB/ND, NAIP/ Project Director(DKMA), Pusa, New Delhi.
4. Shri Hans Raj, ISO, (DIPA) KAB-I for putting in the ICAR Web-Site.
5. All officers/sections at ICAR Krishi Bhawan/KAB – I & II.
6. Secy. (Staff Side), CJSC, NRC on Meat, Chengicherla, Hyderabad -500039
7. Secy. (Staff Side), HJSC, ICAR, KAB-II, Pusa, New Delhi-110012
8. Guard file/Spare copies



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन- नई दिल्ली

फा० सं० सा० प्र०स०-21-21/2014.समन्वय

दिनांक : 16.9.2014

पृष्ठांकन

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना स. न. 1/19/2013-पी&पीडब्ल्यू (ई) दिनांक 29.8.2014 को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 सूचना में संशोधन - के बारे में जारी किया है। यह अधिसूचना भा.कृ.अ.प. की वेबसाइट www.icar.org.in और ई-ऑफिस पर सूचना एवं अनुपालन हेतु अपलोड कर दिया गया है।

(जे. एन. भगत)
अवर सचिव (जीएससी)

वितरण:

1. भा.कृ.अ.प. के संस्थानों/परियोजना निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना समन्वयकों/ अनुसंधान परियोजना समन्वयकों/क्षेत्रीय परियोजना समन्वयकों के सभी निदेशक/ब्यूरों के सभी निदेशक।
2. महानिदेशक., भा.कृ.अ.प. के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/सचिव, भा.कृ.अ.प. के प्रधान निजी सचिव/ वित्त सलाहकार (डेयर) के प्रधान निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, कृ.वै.च.मं./राष्ट्रीय निदेशक एनएआईपी/परियोजना निदेशक (डीकेएमए), पूसा, नई दिल्ली
4. श्री हंस राज, आईएसओ, (डीकेएमए), कृषि अनुसंधान भवन-1 को आईसीएआर की वेबसाइट पर डालने करने हेतु।
5. भा.कृ.अ.प. के सभी अधिकारी/अनुभाग कृषि भवन/कृषि अनुसंधान भवन-1/2, एनएएससी काम्पलेक्स।
6. सचिव (कर्मचारी पक्ष) सीजेएससी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, सुअर रानी, गुवाहाटी - 781131(असम)
7. सचिव (कर्मचारी पक्ष) ऐचजेएससी भा.कृ.अ.प., कृषि अनुसंधान भवन-2
8. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां

No. 1/19/2013-P&PW (E)
 Government of India
 Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
 Department of Pension & Pensioners' Welfare
 (Desk E)

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
 Khan Market, New Delhi
 29th August, 2014

To,

The Manager,
 Govt. of India Press,
 Mayapuri, Ring Road,
 New Delhi-110064

Sub: Amendment to CCS (Pension) Rules, 1972 - Notification regarding

Sir,

I am to forward herewith a copy of Notification in duplicate (English & Hindi versions) on the above subject and to request that the same may be published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, sub-section (i).

2. The Notification has been signed by Joint Secretary (Pension).

Encl: As Above.

Yours faithfully,

Sujasha Choudhury
 (Sujasha Choudhury)
 Deputy Secretary
 Department of Pension & Pensioners' Welfare
 Govt. of India
 Phone: 24635979

Copy to:

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc.
3. Legislative Department (Official Languages Wing)
4. O/o Controller General of Accounts, 7th Floor, Lok Nayak Bhawan, New Delhi, with the request to make necessary corresponding changes in the Accounts Manuals, Central Treasury Rules, Receipts and Payment Rules and Scheme Booklet etc.

Sujasha Choudhury
 (Sujasha Choudhury)
 Deputy Secretary
 Phone: 24635979

Sn on
 12/11

File No. 1114/2013-14
 Dy. No. ...
 Date: ...

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3,
SUB - SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2014

G.S.R..... (E). – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Fourth Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, (hereinafter referred to as the said rules), -

(a) in rule 32,-

- (i) in the marginal heading, for the word "or", the word "and" shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (1), for the word "or", the word "and" shall be substituted;
- (iii) after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely:-

“(1A) For the purposes of verification of service, the Head of Office shall follow the procedure provided in clause (a) of rule 59.”;

(b) in the said rules, in rule 56, for sub-rule (1) and sub-rule (2), the following sub-rules shall respectively be substituted, namely:-

“(1) Every Head of Department shall have a list prepared every three months, that is, on the 1st January, 1st April, 1st July and 1st October each year, of all Government servants who are due to retire within the next twelve to fifteen months of that date.

(2) A copy of every such list shall be supplied to the Accounts Officer concerned not later than 31st January, 30th April, 31st July or 31st October, as the case may be, of that year.”

(c) in the said rules, for rule 57, the following rule shall be substituted, namely:-

“57. The Head of Office shall write to the Directorate of Estates at least one year before the anticipated date of retirement of the Government servant who was or is in occupation of a Government accommodation (hereinafter referred to as the allottee) for issuing a 'No demand certificate' in respect of the period preceding eight months of the retirement of the allottee.”

- (d) in the said rules, in rule 58, for the words "two years" the words "one year" shall be substituted;
- (e) in the said rules, for rule 59, the following rule shall be substituted, namely:-

"59. Stages for the completion of pension papers on superannuation. – The Head of Office shall divide the period of preparatory work of one year referred to in rule 58 in the following three stages, namely:-

(a) First Stage. – Verification of service. –

- (i) The Head of Office shall go through the service book of the Government servant and satisfy himself as to whether the certificates of verification for the service subsequent to the service verified under rule 32 are recorded therein.
- (ii) In respect of the unverified portion or portions of service, he shall verify the portion or portions of such service, as the case may be, based on pay bills, acquittance rolls or other relevant records such as last pay certificate, pay slip for month of April which shows verification of service for the previous financial year and record necessary certificates in the service book.
- (iii) If the service for any period is not capable of being verified in the manner specified in sub-clause (i) and sub-clause (ii), that period of service having been rendered by the Government servant in another office or Department, the Head of Office under which the Government servant is at present serving shall refer the said period of service to the Head of Office in which the Government servant is shown to have served during that period for the purpose of verification.
- (iv) On receipt of communication referred to in sub-clause (iii), the Head of Office in that office or Department shall verify the portion or portions of such service, in the manner as specified in sub-clause (ii), and send necessary certificates to the referring Head of Office within two months from the date of receipt of such a reference:
Provided that in case a period of service is incapable of being verified, it shall be brought to the notice of the referring Head of Office simultaneously.
- (v) If no response is received within the time referred to in the preceding sub-clause, such period or periods shall be deemed to qualify for pension.
- (vi) If at any time thereafter, it is found that the Head of Office and other concerned authorities had failed to communicate any non-qualifying period of service, the Secretary of the administrative Ministry or Department shall fix responsibility for such non-communication.
- (vii) The process specified in sub-clauses (i), (ii), (iii), (iv) and (v) shall be completed eight months before the date of superannuation.
- (viii) If any portion of service rendered by a Government servant is not capable of being verified in the manner specified in sub-clause (i) or sub-clause (ii) or sub-clause (iii) or sub-clause (iv) or sub-clause (v), the Government servant shall be asked to file a written statement on plain paper within a month,

stating that he had in fact rendered service for that period, and shall, at the foot of the statement, make and subscribe to a declaration as to the truth of that statement.

- (ix) The Head of Office shall, after taking into consideration the facts in the written statement referred to in sub-clause (viii) admit that portion of service as having been rendered for the purpose of calculating the pension of that Government servant.
- (x) If a Government servant is found to have given any incorrect information willfully, which makes him or her entitled to any benefits which he or she is not otherwise entitled to, it shall be construed as a grave misconduct.

(b) Second Stage. - Making good omission in the service book. -

- (i) The Head of Office while scrutinising the certificates of verification of service, shall also identify if there are any other omissions, imperfections or deficiencies which have a direct bearing on the determination of emoluments and the service qualifying for pension.
- (ii) Every effort shall be made to complete the verification of service, as specified in clause (a) and to make good the omissions, imperfections or deficiencies referred to in sub-clause (i).
- (iii) Any omission, imperfection or deficiency which is incapable of being made good and the periods of service about which the Government servant has submitted no statement and the portion of service shown as unverified in the service book which it has not been possible to verify in accordance with the procedure laid down in clause (a) shall be ignored and service qualifying for pension shall be determined on the basis of the entries in the service book.
- (iv) For the purpose of calculation of average emoluments, the Head of Office shall verify from the service book the correctness of the emoluments drawn or to be drawn during the last ten months of service.
- (v) In order to ensure that the emoluments during the last ten months of service have been correctly shown in the service book, the Head of Office may verify the correctness of emoluments only for the period of twenty-four months preceding the date of retirement of a Government servant, and not for any period prior to that date.

(c) Third Stage. - As soon as the second stage is completed, but not later than eight months prior to the date of retirement of the Government servant, the Head of Office shall -

- (i) furnish to the retiring Government servant a certificate regarding the length of qualifying service proposed to be admitted for the purpose of pension and gratuity and also the emoluments and the average emoluments proposed to be reckoned for retirement gratuity and pension.
- (ii) direct the retiring Government servant to furnish to the Head of Office the reasons for non-acceptance, supported by the relevant documents in support of his claim within two months if the certified service and emoluments as indicated by the Head of Office are not acceptable to him.

- (iii) forward to the retiring Government servant Form 5 advising him to submit the same duly completed in all respects so as to reach the Head of Office not later than six months prior to his date of retirement.”
- (f) in the said rules, after rule 59, the following rule shall be inserted, namely:-
- “59-A. A Government servant, retiring for reasons other than superannuation may, submit Form 5 before such retirement but after the competent authority has approved such retirement or the retirement has become effective, as the case may be.”;
- (g) in the said rules, for rule 60, the following rule shall be substituted, namely:-
- “60. Completion of pension papers. – In cases under rule 59, the Head of Office shall complete Part I of Form 7 not later than four months before the date of retirement of a Government servant and in cases under rule 59-A, the Head of Office shall complete Part I of Form 7 within three months after submission of Form 5 by a Government servant.”;
- (h) in the said rules, in rule 61, –
- (i) sub-rule (3) shall be omitted;
- (ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(4) The papers referred to in sub-rule (1) shall be forwarded to the Accounts Officer not later than four months before the date of superannuation of a Government servant and in cases other than retirement on superannuation not later than three months after the date of submission of Form 5.”;
- (i) in the said rules, in rule 62, the words, brackets and figures, “within the period specified in sub-rule (4) of rule 61” shall be omitted;
- (j) in the said rules, in rule 63, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- “(1) The Head of Office shall, after ascertaining and assessing the Government dues referred to in rule 71, furnish the particulars thereof to the Accounts Officer in Form 8.”
- (k) in the said rules, for rule 64, the following rule shall be substituted, namely:-
- “64. Provisional pension for reasons other than Departmental or Judicial proceedings.– (1) Where in spite of following the procedure laid down in rule 59, it is not possible for the Head of Office to forward the pension papers referred to in rule 61 to the Accounts Officer within the period specified in sub-rule (4) of that rule or where the pension papers have been forwarded to the Accounts Officer within the specified period but the Accounts Officer may have returned the pension papers to the Head of Office for eliciting further information before issuing pension payment order and order for the payment of gratuity and the Government servant is likely to retire before his pension and gratuity or both can be finally assessed and settled in accordance with the provisions of these rules, the Head of Office

shall rely upon such information as may be available in the official records, and without delay, determine the amount of provisional pension and the amount of provisional retirement gratuity.

(2) On receipt of Form 5, in a case of retirement otherwise than on superannuation, the Head of Office shall sanction provisional pension and also provisional retirement gratuity till issue of Pension Payment Order.

(3) Where the amount of pension and gratuity cannot be determined for reasons other than the Departmental or Judicial proceedings, the Head of Office shall –

(a) issue a letter of sanction addressed to the Government servant endorsing a copy thereof to the Accounts Officer authorising –

(i) 100 per cent of pension as provisional pension for a period not exceeding six months to be reckoned from the date of retirement of the Government servant ; and

(ii) 100 per cent of the gratuity as provisional gratuity withholding ten per cent of gratuity.

(b) specify in the letter of sanction the amount recoverable from the gratuity under sub-rule (1) of rule 63 and after issuing the letter of sanction referred to in clause (a), the Head of Office shall draw –

(i) the amount of provisional pension ; and

(ii) the amount of provisional gratuity after deducting therefrom the amount specified in sub-clause (ii) of clause (a) and the dues, if any, specified in rule 71,

in the same manner as pay and allowances of the establishment are drawn by him.

(4) The amount of provisional pension and gratuity payable under sub-rule (2) or sub-rule (3) shall, if necessary, be revised on the completion of the detailed scrutiny of the records.

(5) (a) The payment of provisional pension shall not continue beyond the period of six months from the date of retirement of a Government servant or from the date of submission of Form 5 by the Government servant, whichever is later, and if the amount of final pension and the amount of final gratuity had been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer before the expiry of the said period of six months, the Accounts Officer shall -

(i) issue the pension payment order; and

(ii) direct the Head of Office to draw and disburse the difference between the final amount of gratuity and the amount of provisional gratuity paid under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (3) after adjusting the Government dues, if any, which may have come to notice after the payment of provisional gratuity.

(b) If the amount of provisional pension disbursed to a Government servant under sub-rule (3) is, on its final assessment, found to be in excess of the final pension

assessed by the Accounts Officer, it shall be open to the Accounts Officer to adjust the excess amount of pension out of gratuity withheld under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (3) or recover the excess amount of pension in instalments by making short payments of the pension payable in future.

- (c) (i) If the amount of provisional gratuity disbursed by the Head of Office under sub-rule (3) is more than the amount finally assessed, the retired Government servant shall not be required to refund the excess amount actually disbursed to him.
- (ii) The Head of Office shall ensure that chances of disbursing the amount of gratuity in excess of the amount finally assessed are minimized and the officials responsible for the excess payment shall be accountable for the over-payment.
- (6) If the final amount of pension and gratuity have not been determined by the Head of Office in consultation with the Accounts Officer within a period of six months referred to in clause (a) of sub-rule (5), the Accounts Officer shall treat the provisional pension and gratuity as final and issue pension payment order immediately on the expiry of the period of six months.
- (7) As soon as the pension payment order has been issued by the Accounts Officer under clause (a) of sub-rule (5) or sub-rule (6), the Head of Office shall release the amount of withheld gratuity under sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (3) to the retired Government servant after adjusting Government dues which may have come to notice after the payment of provisional gratuity under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (3).
- (8) If a Government servant is or was an allottee of Government accommodation, the withheld amount should be paid on receipt of 'No Demand Certificate' from the Directorate of Estates.”;

(l) in the said rules, in rule 65, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

- “(1) (a) On receipt of pension papers referred to in rule 61, the Accounts Officer shall apply the requisite checks, record the account encasement in Part II of Form 7 and assess the amount of pension, family pension and gratuity and issue the pension payment order not later than one month in advance of the date of the retirement of a Government servant on attaining the age of superannuation.
- (b) In the cases of retirement otherwise than on attaining the age of superannuation, the Accounts Officer shall apply the requisite checks, complete Part II of Form 7, assess the amount of pension, family pension and gratuity, assess dues and issue the pension payment order within three months of the date of receipt of pension papers from the Head of Office.
- (c) The Accounts Officer shall indicate in the Pension Payment Order, the name of the spouse of the Government servant, if alive, as family pensioner.
- (d) The Accounts Officer shall also indicate in the Pension Payment Order, the names of the permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings as family pensioners if there is no other member of family to whom family

pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.

- (e) On receipt of a written communication from the Head of Office on an application from an existing pensioner or family pensioner, the Accounts Officer shall also indicate in the Pension Payment Order, the names of the permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings as family pensioners if there is no other member of family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.
 - (f) The Pension Disbursing Authority shall authorise family pension to the members of family referred to in clause (c), (d) or (e) in accordance with the provisions of rule 81 in the order indicated in rule 54.”
- (m) in the said rules, in rule 66, in the proviso, for the words “not exceeding five hundred”, the words “not exceeding three thousand five hundred” shall be substituted;
- (n) in the said rules, in rule 68, –
- (i) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-
“(1) In all cases where the payment of gratuity has been authorised later than the date when its payment becomes due, including the cases of retirement otherwise than on superannuation, and it is clearly established that the delay in payment was attributable to administrative reasons or lapses, interest shall be paid at the rate applicable to General Provident Fund amount in accordance with the instructions issued from time to time:
Provided that the delay in payment was not caused on account of failure on the part of the Government servant to comply with the procedure laid down by the Government for processing his pension papers.”
 - (ii) in sub-rule (2), for the words “administrative lapse”, the words “administrative reasons or lapse” shall be substituted;
 - (iii) in sub-rule (4), after the words “payment of gratuity”, the words “on account of administrative lapses.” shall be inserted;
- (o) in the said rules, in rule 70, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
“(1-A) The question whether the revision has become necessary on account of a clerical error or not shall be decided by the administrative Ministry or Department.”
- (p) in the said rules, in rule 72, –
- (i) in sub-rule (1), for the words “eight months before the date of retirement of the allottee”, the words, “within two months” shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (4), the words “of four months” shall be omitted;
- (q) in the said rules, in rule 73, for the words “the dues two years before”, the words “the dues one year before” shall be substituted.
- (r) in the said rules, in rule 77, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) Where the family of the deceased Government servant is eligible under rule 54 for family pension, the Head of Office shall address the eligible member of the family or the guardian, as the case may be, in Form 13 for making claim in Form 14.”

- (s) in the said rules, in rule 80,—
- (i) for the words and figures “items 22, 23, 24, 25 and 26” wherever they occur, the words and figures “items 14, 21 and 22” shall be substituted;
 - (ii) sub-rule (3) shall be omitted;
- (t) in the said rules, in rule 80A, in sub-rule (5), in the proviso, for the words and brackets “two hundred and fifty rupees (inclusive of relief on family pension)”, the words “three thousand five hundred rupees and admissible dearness relief” shall be substituted;
- (u) in the said rules, in rule 80B, —
- (i) in the marginal heading, for the words “final pension”, the words “final family pension” shall be substituted;
 - (ii) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
“(2-A) The Accounts Officer shall, while authorising the family pension for the first eligible member of the family, indicate the names of the permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings as family pensioners in the Pension Payment Order, if there is no other member of family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.”
 - (iii) sub-rule (5) shall be omitted;
 - (iv) in sub-rule (6), for the words “final pension”, the words “final family pension” shall be substituted;
- (v) in the said rules, in rule 80C, in sub-rule (1), —
- (i) in clause (i), in sub-clause (g), for the words “the permissible period of four months from the date of death of the Government servant”, the words “the permissible period thereafter,” shall be substituted;
 - (ii) after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:-
“(ix) Any amount of licence fee or damages, remaining unpaid after adjustment from the withheld amount of gratuity, may be ordered to be recovered by the Head of Office through the Accounts Officer concerned from the dearness relief without the consent of the family pensioner and in such cases no dearness relief shall be disbursed until full recovery of such dues has been made.”;
- (w) in the said rules, for rule 81, the following rule shall be substituted, namely:-

“81. Sanction of family pension and residuary gratuity on the death of a pensioner or family pensioner. — (1) Where the Head of Office has received an intimation regarding the death of a pensioner or death or ineligibility of a family pensioner, he shall ascertain whether any family pension or residuary gratuity or both in respect of the deceased pensioner and any family pension in respect of the family pensioner are payable and proceed as hereinafter provided.

(2) (a) (i) If the deceased pensioner is survived by a widow or widower who is eligible for the grant of family pension under rule 54, the amount of family pension as indicated in the Pension Payment Order shall become payable to the widow or widower, as the case may be, from the day following the date of death of the pensioner.

(ii) The Pension Disbursing Authority shall, on receipt of a claim in Form 14 from the widow or widower, authorise the payment of family pension to the widow or widower, as the case may be:

Provided that no claim in Form 14 shall be required if the widow or widower was holding a joint account with the pensioner in which pension was being credited.

(iii) The Pension Disbursing Authority shall authorise payment of family pension to the widow or widower, who is not required to submit Form 14, on receipt of information in writing of the death of the pensioner:

Provided that such widow or widower shall submit a copy of death certificate to the Pension Disbursing Authority and an undertaking to the effect that any amount to which he or she is not entitled to or any amount which may be credited to his or her account in excess of the amount to which he or she is entitled would be refunded or made good.

(v) Subject to the provisions of clause (b), if the deceased pensioner is survived by a permanently disabled child or children or dependent parents or disabled siblings whose names have been included in the Pension Payment Order as family pensioners under clause (d) of sub-rule (1) of rule 65, the Pension Disbursing Authority shall, on receipt of a claim in Form 14, authorise payment of family pension to the member of family who is eligible to receive family pension in accordance with the provisions of rule 54.

(vi) Where the deceased pensioner is survived by spouse and permanently disabled children or dependent parents or disabled siblings, whose names had not been included in the Pension Payment Order previously, the Accounts Officer shall include their names in the Pension Payment Order on receipt of a written communication from the Head of Office.

(vi) The Pension Disbursing Authority shall, on death or ineligibility of the family pensioner and on receipt of a claim in Form 14, authorise payment of family pension to a permanently disabled child or dependent parent or disabled sibling whose name has been included in the Pension Payment Order as family pensioner and who is eligible to receive family pension in accordance with the provisions of rule 54.

- (62)
- (b) (i) Where the Pension Payment Order does not include name of any member of the family or where the Head of Office is of the opinion that in accordance with the provisions of rule 54, the family pension in respect of the deceased pensioner or family pensioner has become payable to a member of the family other than those whose names have been included in the Pension Payment Order under sub-rule (1) of rule 65 or sub-clause (i) or sub-clause (iv) of clause (a), including a person who became member of the family of the pensioner after the retirement, he shall, on receipt of a claim in Form 14, sanction the family pension in Form 20 or Form 21, as the case may be, to such member of family to whom family pension has become payable.
- (ii) If family pension is sanctioned under sub-clause (i), the Head of Office shall include the names of any permanently disabled child or children and dependent parents and disabled siblings as family pensioners if there is no other member of the family to whom family pension may become payable before such disabled child or children or dependent parents or disabled siblings.
- (3) (i) Where a widow or widower in receipt of family pension remarries and has, at the time of remarriage, child or children from the deceased Government servant or pensioner who is or are eligible for family pension, the remarried individual shall be eligible to draw the family pension on behalf of such child or children if such individual continues to be the guardian of such child or children.
- (ii) For the purposes of clause (i), the remarried individuals shall apply to the Head of Office in Form 14, along with a declaration that the applicant continues to be the guardian of such child or children.
- (iii) If the remarried individual has, for any reason, ceased to be the guardian of such child or children, the family pension shall become payable to the person entitled to act as guardian of such child or children under any law for the time being in force and such person may submit a claim in Form 14 to the Head of Office for the payment of family pension.
- (4) If the person eligible for family pension is a minor or is suffering from any disorder or disability of mind or is mentally retarded, the guardian may submit a claim in Form 14 on behalf of such person.

(5) Where on the death of a retired Government servant a residuary gratuity becomes payable to the family of the deceased under sub-rule (2) of rule 50, the Head of Office shall sanction its payment on receipt of a claim or claims in Form 22 from the person or persons eligible to receive the residuary gratuity."

(x) in Form 5, for the words "eight months before the date of his retirement" the words "six months before the date of retirement" shall be substituted;

(y) in Form 14, -

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"Form of application for family pension on death of a Government servant or pensioner or on death or ineligibility of a family pensioner"

(ii) for sub-item (iv) of item 1, the following shall be substituted, namely:-

"(iv) Date of death of Government servant/pensioner/ date of death or ineligibility of family pensioner."

[F.No.1/19/2013-P&PW (E)]

Vandana Sharma
(Vandana Sharma)
Joint Secretary

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O.934, dated the 1st April, 1972. The Fourth Edition of the rules corrected up to July, 1988 was published in the year of 1988. The said rules were subsequently amended vide the following notifications, namely:-

1. S.O.254, dated the 4th February, 1989
2. S.O.970, dated the 6th May, 1989
3. S.O.2467, dated the 7th October, 1989
4. S.O.899, dated the 14th April, 1990
5. S.O.1454, dated the 26th May, 1990
6. S.O.2329, dated the 8th September, 1990
7. S.O.3269, dated the 8th December, 1990
8. S.O.3270, dated the 8th December, 1990
9. S.O.3273, dated the 8th December, 1990
10. S.O.409, dated the 9th February, 1991
11. S.O.464, dated the 16th February, 1991

12. S.O.2287, dated the 7th September, 1991
13. S.O.2740, dated the 2nd November, 1991
14. G.S.R. 677, dated the 7th December, 1991
15. G.S.R. 399, dated the 1 st February, 1992
16. G.S.R. 55, dated the 15th February, 1992
17. G.S.R. 570, dated the 19th December, 1992
18. S.O.258, dated the 13th February, 1993
19. S.O.1673, dated the 7th August, 1993
20. G.S.R. 449, dated the 11 th September, 1993
21. S.O.1984, dated the 25th September, 1993
22. G.S.R. 389(E), dated the 18th April, 1994
23. S.O.1775, dated the 19th July, 1997
24. S.O.259, dated the 30th January, 1999
25. S.O.904(E), dated the 30th September, 2000
26. S.O.717(E), dated the 27th July, 2001
27. G.S.R. 75(E), dated the 1st February, 2002
28. S.O.4000, dated the 28th December, 2002
29. S.O. 860(E), dated the 28th July, 2003
30. S.O. 1483 (E), dated the 30th December, 2003
31. S.O. 1487 (E), dated the 14th October, 2005
32. G.S.R. 723(E), dated the 23rd November, 2006
33. S.O. 1821 (E), dated the 25th October, 2007
34. G.S.R. 258 (E), dated the 31st March, 2008
35. S.O. 1028 (E), dated the 25th April, 2008
36. S.O. 829(E), dated the 12th April, 2010
37. G.S.R. 176, dated the 11th June, 2011
38. G.S.R. 928 (E), dated the 26th December, 2012
39. G.S.R. 938 (E), dated the 27th December, 2012
40. G.S.R. 103 (E), dated the 21st February, 2014
41. G.S.R. 138 (E), dated the 3rd March, 2014
42. G.S.R. 233 (E), dated the 28th March, 2014

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 29 अगस्त, 2014

सा.का.नि. (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) चौथा संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,
(क) नियम 32 में,
(i) पार्श्व शीर्षक में, "अथवा" शब्द के स्थान पर "और" शब्द रखा जाएगा ;
(ii) उप नियम (1) में, "या" शब्द के स्थान पर "और" शब्द रखा जाएगा ;
(iii) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
" (1अ) सेवा के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए कार्यालय अध्यक्ष नियम 59 के खंड (क) में उपबधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। ";
(ख) उक्त नियमों के नियम 56 में उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-
" (1) प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक तिमाही अर्थात् प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर को ऐसे सभी सरकारी सेवकों की एक सूची तैयार कराएगा जो उस तारीख से अगले बारह से पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
(2) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति उस वर्ष की, यथास्थिति, 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक, न कि उसके पश्चात्, संबद्ध लेखा अधिकारी को दी जाएगी। "
(ग) उक्त नियमों के नियम 57 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"57. कार्यालय अध्यक्ष ऐसे सरकारी सेवक, (जिसे इसमें इसके पश्चात् आबंटिती कहा गया है) जिसके कब्जे में कोई सरकारी आवास था या है, की सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व संपदा निदेशालय को आबंटिती की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि के बारे में 'बेबाकी पत्र' जारी किए जाने के लिए लिखेगा।"

(घ) उक्त नियमों के नियम 58 में "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उक्त नियमों में, नियम 59 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"59. अधिवर्षिता पर पेंशन पत्रों की तैयारी के प्रक्रम - कार्यालय अध्यक्ष नियम 58 में निर्दिष्ट एक वर्ष की तैयारी की अवधि को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में विभाजित करेगा, अर्थात् :-

(क) पहला प्रक्रम. - सेवा का सत्यापन -

(i) कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक की पुस्तिका को देखेगा और अपना यह समाधान कर लेगा कि नियम 32 के अधीन सत्यापित सेवा की पश्चात्वर्ती सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित हैं।

(ii) सेवा के असत्यापित प्रभाग या प्रभागों की बाबत वह, यथास्थिति, सेवा के उस प्रभाग या उन प्रभागों को वेतन बिलों, निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों जैसे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र, अप्रैल मास की वेतन पची जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सेवा के सत्यापन को दर्शाता है, के आधार पर सत्यापित करेगा और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा।

(iii) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखंड (i) और उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति से इस कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि उस अवधि में सरकारी सेवक ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग में सेवा की थी तो वह कार्यालय अध्यक्ष जिसके अधीन सरकारी सेवक वर्तमान में सेवारत है उस सेवाकाल को सत्यापन के प्रयोजन के लिए उस कार्यालय अध्यक्ष को निर्दिष्ट करेगा जहां सरकारी सेवक के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसने उस काल में वहां सेवा की थी।

(iv) उपखंड (iii) में निर्दिष्ट संसूचना की प्राप्ति पर उस कार्यालय या विभाग में कार्यालय अध्यक्ष उपखंड (ii) में यथाविनिर्दिष्ट रीति से ऐसी सेवा के प्रभाग या प्रभागों को सत्यापित करेगा और ऐसे किसी निर्देश की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर निर्देश करने वाले कार्यालय अध्यक्ष को आवश्यक प्रमाणपत्र भेजेगा।

परंतु सेवा की किसी अवधि के सत्यापित नहीं किए जा सकने की दशा में इसे निर्देश करने वाले कार्यालय अध्यक्ष की जानकारी में लाया जाएगा।

- (v) यदि पूर्ववर्ती उपखंड में निर्दिष्ट समय के भीतर जवाब प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी अवधि या अवधियों को पेंशन के लिए अर्हित समझा जाएगा।
- (vi) यदि उसके पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष और अन्य संबंधित प्राधिकारी सेवा की किसी भी अनर्हक अवधि की संसूचना देने में असफल रहे थे तो प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव ऐसी संसूचना नहीं दिए जाने का उत्तरदायित्व नियत करेगा।
- (vii) उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv) और उपखंड (v) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिवर्षिता की तारीख से आठ मास पहले पूरी की जाएगी।
- (viii) यदि सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा के किसी प्रभाग को उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) या उपखंड (v) में विनिर्दिष्ट सीति से सत्यापित नहीं किया जा सकता है तो सरकारी सेवक को सादे कागज पर एक लिखित कथन फाइल करने के लिए कहा जाएगा जिसमें वह यह बताएगा कि उसने वास्तव में उस अवधि में सेवा की थी और कथन के अंत में वह इस बात के प्रतीक स्वरूप ऐसे घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा कि उस कथन में जो कुछ कहा गया है वह सही है।
- (ix) कार्यालय अध्यक्ष उपखंड (viii) में निर्दिष्ट लिखित कथन में दिए गए तथ्य पर यह स्वीकार करेगा कि वह सेवा उस सरकारी सेवक की पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए की गई सेवा है।
- (x) यदि कोई सरकारी सेवक जानबूझकर ऐसी कोई गलत सूचना देता हुआ पाया जाता है या जाती है जो उसे किसी ऐसे फायदे का हकदार बनाती है जिसका अन्यथा वह हकदार नहीं होता या होती तो इसका अर्थ गंभीर अवचार के रूप में लगाया जाएगा।
- (ख) दूसरा प्रक्रम - सेवा पुस्तिका के लोपो की पूर्ति -
- (i) सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करते समय कार्यालय अध्यक्ष उनमें ऐसे लोपो, त्रुटियों या कमियों को पता करेगा जिनका पेंशन के लिए परिलक्षित और अर्हक सेवा के अवधारण से सीधा संबंध है।
- (ii) खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सत्यापन को पूरा करने और उपखंड (i) में निर्दिष्ट लोपो, त्रुटियों और कमियों को पूरा करने की हर चेष्टा की जाएगी।
- (iii) किन्हीं लोपो, त्रुटियों या कमियों की, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता और सेवा की ऐसी अवधियों की, जिनके बारे में सरकारी सेवक ने कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया है तथा सेवा के उस प्रभाग की, जिसे सेवा पुस्तिका में असत्यापित दिखाया गया है, जिसे खंड (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं है, उपेक्षा

की जाएगी और सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों के आधार पर पेंशन के लिए अर्हक सेवा का अवधारण किया जाएगा।

- (iv) औसत परिलब्धियों की गणना करने के प्रयोजन से कार्यालय अध्यक्ष सेवा के अंतिम दस मास में ली गई या ली जाने वाली परिलब्धियों की शुद्धता सेवा पुस्तिका से स्थापित करेगा।
- (v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के अंतिम दस मास में परिलब्धियां सेवा पुस्तिका में ठीक प्रकार से दर्शाई गई हैं, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति से पूर्व केवल चौबीस मास की अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता का स्थापन कर सकता है और उस तारीख से पूर्व की किसी अवधि का नहीं।
- (ग) तीसरा प्रक्रम - दूसरे चरण के पूरे होते ही किंतु सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास के उपरान्त, कार्यालय अध्यक्ष -
- (i) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को पेंशन और उपदान के प्रयोजन के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रस्तावित अर्हक सेवा की अवधि तथा सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन की गणना के लिए प्रस्तावित परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों की वास्तव प्रमाणपत्र देगा।
- (ii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को, यदि उसे कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा उपदर्शित प्रमाणित सेवा और परिलब्धियां स्वीकार्य नहीं हैं, तो दो मास के भीतर उसके चक्षु के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित अस्वीकृति के कारण कार्यालय अध्यक्ष को देने का निदेश देगा।
- (iii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक को प्ररूप 5, उसे उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम छह मास पूर्व सभी प्रकार से सम्यक रूप से पूरा करके कार्यालय अध्यक्ष को देने की सलाह देते हुए भेजेगा।

(च) उक्त नियमों में, नियम 59 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"59-अ. अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाला कोई सरकारी सेवक, प्ररूप-5, उसकी सेवानिवृत्ति के पहले किन्तु, यथास्थिति, समक्ष प्राधिकारी द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति को अनुमोदित किए जाने के मर्यादा या सेवानिवृत्ति के प्रभावी हो जाने पर प्रस्तुत कर सकेगा।";

(छ) उक्त नियमों में, नियम 60 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"60. पेंशन पत्रों का पूरा किया जाना - नियम 59 के अधीन के मामलों में कार्यालय अध्यक्ष उस तारीख से, जिसको सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होने वाला है, कम से कम चार मास पूर्व प्ररूप 7 के भाग 1 को पूरा करेगा और नियम 59अ के अधीन के मामलों में कार्यालय अध्यक्ष, प्ररूप 7 के भाग 1 को किसी

सरकारी सेवक द्वारा प्ररूप 5 के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् तीन मास के भीतर पूरा करेगा ।” ।

(ज) उक्त नियमों के नियम 61 में-

(i) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पत्र किसी सरकारी सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम चार मास पूर्व और अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति से भिन्न मामलों में, प्ररूप 5 के प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी को भेजे जाएगी।”

(झ) उक्त नियमों के नियम 62 में, “नियम 61 के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

(ञ) उक्त नियमों के नियम 63 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) नियम 71 में दिए गए सरकारी शोध्यों को परिनिश्चित और निर्धारित करने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 8 में उनकी विशिष्टियां लेखा अधिकारी को देगा ।” ।

(ट) उक्त नियमों में, नियम 64 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“64. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों से भिन्न कारणों के लिए अनंतिम पेंशन- (1) जहां नियम 59 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने पर भी, कार्यालय अध्यक्ष के लिए यह समय न हो कि नियम 61 में निर्दिष्ट पेंशन पत्र, उस नियम के उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेखा अधिकारी को भेज सके या जहां पेंशन पत्र लेखा अधिकारी को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे गए हों किन्तु पेंशन पत्र लेखा अधिकारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को पेंशन संदाय आदेश और उपदान संदाय आदेश जारी करने के पूर्व, और अधिक जानकारी के लिए तौटा दिए गए हो और सरकारी सेवक का, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उसकी पेंशन और उपदान या दोनों अंतिम रूप से निर्धारित और तय किए जाने के पूर्व सेवा निवृत्त होना सम्भव हो, तो कार्यालय अध्यक्ष ऐसी जानकारी पर भरोसा करेगा जो शासकीय अभिलेखों में उपलब्ध हो और बिना विलंब के अनंतिम पेंशन की रकम और अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान की रकम अवधारित करेगा ।

(2) अधिवर्षिता से भिन्न अन्यथा सेवानिवृत्ति के किसी मामले में, प्ररूप 5 के प्राप्त होने पर कार्यालय अध्यक्ष पेंशन संदाय आदेश के जारी किए जाने तक अनंतिम पेंशन और अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान भी मंजूर करेगा ।

(3) जहाँ पेंशन और उपदान की रकम का अवधारण विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों से भिन्न किसी कारण से नहीं किया जा सकता है तो कार्यालय अध्यक्ष-

(क) सरकारी सेवक को संबोधित एक मंजूरी पत्र जारी करेगा और उसकी प्रति लेखा अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करते हुए पृष्ठांकित करेगा-

(i) अनंतिम पेंशन के रूप में पेंशन का सौ प्रतिशत छह मास से अनधिक की अवधि के लिए, जो सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से संगणित की जाएगी ; और

(ii) अनंतिम उपदान के रूप से उपदान का सौ प्रतिशत, जिसमें से उपदान का दस प्रतिशत विधायित किया जाएगा।

(ख) नियम 63 के उपनियम (1) के अधीन उपदान से वसूलीय रकम मंजूरी पत्र में विनिर्दिष्ट करेगा और खंड (क) में निर्दिष्ट मंजूरी पत्र जारी किए जाने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष-

(i) अनंतिम पेंशन की रकम ; और

(ii) अनंतिम उपदान की रकम, उसमें से खंड (क) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट रकम नियम और 71 में विनिर्दिष्ट शोध, यदि कोई हो, घटाने के पश्चात्

स्थापन के वेतन और भत्ते आहरित करने की रीति से आहरित करेगा।

(4) उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन संदेय अनंतिम पेंशन और उपदान की रकम का, यदि आवश्यक हो, अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा पूरी करने पर मुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) (क) अनंतिम पेंशन का संदाय सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से या सरकारी सेवक द्वारा प्ररूप 5 प्रस्तुत किए जाने की तारीख से, इसमें जो भी पश्चात्तवर्ती हो, छह मास की अवधि के बाद जारी नहीं रहेगा और यदि छह मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अनंतिम उपदान की रकम का अवधारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से कर दिया गया है तो लेखा अधिकारी-

(i) पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा ; और

(ii) कार्यालय अध्यक्ष को, सरकारी शोध का, यदि कोई हो, जो अनंतिम उपदान का संदाय किए जाने के पश्चात् जानकारी में आए हो, समायोजन करने के पश्चात् उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड

(ii) के अधीन संदेय अनंतिम उपदान की रकम और अनंतिम उपदान के अंतर का आहरण और संवितरण करने का निदेश देगा।

(ख) यदि यह पाया जाए कि उपनियम (3) के अधीन सरकारी सेवक को संवितरित अनंतिम पेंशन की रकम उसके अंतिम निर्धारण पर लेखा अधिकारी

द्वारा निर्धारित अंतिम पेंशन से अधिक है तो लेखा अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उस अधिक रकम को उपनियम (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन विधायित उपदान में से समायोजित करे या अधिक रकम को भविष्य में संदेय पेंशन का कम संदाय करके, किरतों में वसूल करे।

(ग) (i) यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपनियम (3) के अधीन संवितरित की गई अनंतिम उपदान की रकम अंतिम रूप से निर्धारित रकम से अधिक है तो सेवानिवृत्त सरकारी सेवक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह वास्तव में उसको संवितरित अधिक रकम का प्रतिदाय करे।

(ii) कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम रूप से निर्धारित उपदान की रकम से अधिक रकम के संवितरण के अवसर कम से कम हों और अधिक संदाय के लिए जिम्मेदार पद्धासी अतिसंदाय के देनदार होंगे।

(6) यदि उपनियम (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट छह मास की अवधि के भीतर पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन और उपदान को अंतिम मानेगा और छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा।

(7) जैसे ही उपनियम (5) के खंड (क) या उपनियम (6) के अधीन पेंशन के संदाय का आदेश लेखा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, कार्यालय अध्यक्ष उपनियम (3) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन विधायित उपदान की रकम, उन सरकारी शोध्यों का समायोजन करने के पश्चात्, जो उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अनंतिम उपदान के संदाय के पश्चात् जांचकारी में आते हैं, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को दी जाएगी।

(8) यदि सरकारी सेवक सरकारी आवास-सुविधा का आवंटित है या था तो विधायित राशि का प्रतिदाय संपदा निदेशालय से बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर किया जाएगा।";

(घ) उक्त नियमों के नियम 65 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) (क) नियम 61 में निर्दिष्ट पेंशन पत्रों की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 7 के भाग 2 में लेखा मुख्यांकन अभिलिखित करेगा और पेंशन, कुटुंब पेंशन तथा उपदान की रकम निर्धारित करेगा तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(ख) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से भिन्न अन्यथा सेवानिवृत्ति के मामलों में लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 7 के भाग 2 को पुरा करेगा, पेंशन, कुटुंब पेंशन तथा उपदान की रकम निर्धारित करेगा, शोध्य

निर्धारित करेगा और कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(ग) लेखा अधिकारी, पेंशन संदाय आदेश में सरकारी सेवक के पति या पत्नी का नाम, यदि जीवित हो, कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में उपदर्शित करेगा।

(घ) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में स्थायी रूप से निःशक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा निःशक्त सहोदरों के नाम भी कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में उपदर्शित करेगा, यदि कुटुंब का कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे निःशक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पहले कुटुंब पेंशन संदेय हो।

(ङ) किसी विद्यमान पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के किसी आवेदन पर कार्यालय अध्यक्ष से लिखित संसूचना की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में स्थायी रूप से निःशक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा निःशक्त सहोदरों के नाम भी कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में उपदर्शित करेगा, यदि कुटुंब में कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे निःशक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पहले पेंशन संदेय हो।

(च) पेंशन संचितरण प्राधिकारी नियम 54 में उपदर्शित क्रम में नियम 81 के उपबंधों के अनुसार खंड (ग), खंड (घ) या खंड (ङ) में निर्दिष्ट कुटुंब के सदस्य को कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करेगा।

(ड) उक्त नियमों के नियम 66 के परंतुक में, "पांच सौ रूपए प्रतिमास से अनधिक" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रूपए प्रतिमास से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ढ) उक्त नियमों के नियम 68 में,

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) ऐसे सभी मामलों में, जहां उपदान का संदाय उस तारीख के पश्चात्, जब संदाय देय हुआ, किया जाता है, जिसके अंतर्गत अधिवर्षिता से भिन्न अन्यथा सेवानिवृत्ति के मामले भी हैं, और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ है, तो समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार साधारण भविष्य निधि रकम पर लागू दर से ब्याज का संदाय किया जाएगा ;

परंतु यह तब जब संदाय में विलंब सरकारी सेवक के पेंशन पत्रों की प्रक्रियागत करने के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने में सरकारी सेवक के असाफल रहने के कारण नहीं हुआ हो।

(ii) उपनियम (2) में, "प्रशासनिक चूक" शब्दों के स्थान पर "प्रशासनिक कारणों या चूक" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (4) में, "प्रशासनिक कार्यवाही करेगा जो" शब्दों के पश्चात् "प्रशासनिक चूक के कारण" अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ण) उक्त नियमों के नियम 70 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1-अ) इस प्रश्न का विनिश्चय कि क्या पुनरीक्षण लिपिकीय भूल के कारण आवश्यक हो गया है या नहीं, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा।”

(त) उक्त नियमों के नियम 72 में,-

(i) उपनियम (1) में, “आठटिठी की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व” शब्दों के स्थान पर “दो मास के भीतर” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपनियम (4) में, “चार मास की” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(थ) उक्त नियमों के नियम 73 में, “दो वर्ष पूर्व, शोध्य” शब्दों के स्थान पर “एक वर्ष पूर्व, शोध्य” शब्द रखे जाएंगे।

(द) उक्त नियमों के नियम 77 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) जहाँ मृत सरकारी सेवक का कुटुंब नियम 54 के अधीन कुटुंब पेंशन का पात्र है, वहाँ कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 14 में दावा करने के लिए, यथास्थिति, कुटुंब के पात्र सदस्य या संरक्षक को प्ररूप 13 में लिखेगा।”

(ध) उक्त नियमों के नियम 80 में,-

(i) “मद 22, 23, 24, 25 और 26” शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहाँ फर्ही वे आते हैं, “मद 14, 21 और 22” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।

(न) उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (5) के परंतुक में, “दो सौ पचास रुपए से अनधिक (जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन पर सहित भी है)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “तीन हजार पांच सौ रुपए और अनुज्ञेय महंगाई सहित” शब्द रखे जाएंगे।

(प) उक्त नियमों के नियम 80 के में-

(i) पार्श्व शीर्षक में, “अंतिम पेंशन” शब्दों के स्थान पर “अंतिम कुटुंब पेंशन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2-अ) लेखा अधिकारी कुटुंब के पहले पात्र सदस्य के लिए कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करते समय स्थायी रूप से निःशक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा निःशक्त सहोदरों के नाम कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में पेंशन सदाय आदेश में उपदर्शित करेगा, यदि कुटुंब में कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे निःशक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पहले कुटुंब पेंशन सदाय हो।” ;

(iii) उपनियम (5) का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपनियम (6) में, "अंतिम पेंशन" शब्दों के स्थान पर, "अंतिम कुटुंब पेंशन" शब्द रखे जाएंगे ;

(फ) उक्त नियमों के नियम 80 ग के उपनियम (1) में-

(i) खंड (i) के उपखंड (छ) में, "उसकी मृत्यु की तारीख से चार मास की" शब्दों के स्थान पर, "उसके पश्चात्" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ix) कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपदान की विधायित रकम से समायोजन के पश्चात् असंस्त शेष अनुज्ञप्ति फीस या नुकसानी की किसी रकम की वसूली लेखा अधिकारी के माध्यम से कुटुंब पेंशनभोगी की सहमति के बिना महगाई राहत से करने का आदेश किया जा सकेगा और ऐसे मामलों में तब तक कोई महगाई राहत संचितरित नहीं की जाएगी जब तक ऐसे शोधों की पूरी वसूली न कर ली गई हो ।";

(ब) उक्त नियमों के नियम 81 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"81. पेंशनभोगी की मृत्यु पर कुटुंब पेंशन और अवशिष्टीय उपदान की मंजूरी-
(1) जहां कार्यालय अध्यक्ष को किसी पेंशनभोगी की मृत्यु या किसी कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता की बाबत इतिला मिली हो तो वह यह अभिनिश्चित करेगा कि मृत पेंशनभोगी की बाबत कोई कुटुंब पेंशन या अवशिष्टीय उपदान या दोनों और कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत कोई कुटुंब पेंशन संदेय है या नहीं और इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित कार्यवाही करेगा ।

(2) (क) (i) यदि मृत पेंशनभोगी की कोई विधवा या विधुर जो नियम 54 के अधीन कुटुंब पेंशन का पात्र है, उत्तरजीवी रहता है तो उसे कुटुंब पेंशन की रकम, जो पेंशन संदाय आदेश में उपबंधित है, पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से अगले दिन से, यथास्थिति, विधवा या विधुर को संदेय हो जाएगी ।

(ii) पेंशन संचितरक प्राधिकारी विधवा या विधुर से प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर, यथास्थिति, विधवा या विधुर को कुटुंब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा ;

परंतु प्ररूप 14 में किसी दावे की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि विधवा या विधुर पेंशनभोगी के साथ ऐसा संयुक्त खाता रखता था, जिसमें पेंशन जमा की जाती थी ।

(iii) पेंशन संचितरक प्राधिकारी ऐसी विधवा या विधुर को, जिनसे प्ररूप 14 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है, कुटुंब पेंशन का संदाय पेंशनभोगी की मृत्यु की लिखित इतिला की प्राप्ति पर प्राधिकृत करेगा ;

परंतु ऐसी विधवा या विधुर पेंशन संचितरक प्राधिकारी को मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति और इस आशय का वचनबंध देगा कि कोई रकम, जिसकी या जिसका वह हकदार नहीं है या जो ऐसी रकम का आधिक्य उसके

खाते में जमा किया जाए, जिसकी या जिसका वह हकदार नहीं है का प्रतिदाय किया जाएगा या उसकी पूर्ति की जाएगी।

(iv) खंड (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई स्थायी रूप से निःशक्त बालक या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों मृत पेंशनभोगी के द्वारा उत्तरजीवी है, जिनके नाम पेंशन संदाय आदेश में नियम 65 के उपनियम (1) के खंड (घ) के अधीन कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं, तो पेंशन संचितकर प्राधिकारी प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर कुटुंब के ऐसे सदस्य को कुटुंब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा जो नियम 54 के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने का पात्र है।

(v) जहां पति या पत्नी और स्थायी रूप से निःशक्त बालक या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदर मृत पेंशनभोगी के उत्तरजीवी हैं, जिनके नाम पहले के पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित नहीं किए गए थे तो लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में उनके नाम कार्यालय अध्यक्ष से लिखित संसूचना की प्राप्ति पर सम्मिलित करेगा।

(vi) पेंशन संचितकर प्राधिकारी कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता पर और प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर किसी स्थायी रूप से निःशक्त बालक या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदर जिसका नाम पेंशन संदाय आदेश कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में सम्मिलित किया गया है और जो नियम 54 के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, को कुटुंब पेंशन का संदाय प्राधिकृत करेगा।

(ख) (i) जहां पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब के किसी सदस्य का नाम सम्मिलित नहीं है या जहां कार्यालय अध्यक्ष की यह राय है कि नियम 54 के उपबंधों के अनुसार मृत पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत कुटुंब पेंशन कुटुंब के उन सदस्यों से भिन्ना किसी सदस्य को संदेय हो गई है जिनके नाम नियम 65 के उपनियम (1) या खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (iv) के अधीन पेंशन संदेश आदेश में सम्मिलित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशनभोगी के कुटुंब का सदस्य हो गया है तो वह प्ररूप 14 में किसी दावे की प्राप्ति पर यथास्थिति, प्ररूप 20 या प्ररूप 21 में कुटुंब के ऐसे सदस्य को कुटुंब पेंशन मंजूर करेगा जिसको कुटुंब पेंशन संदेय हो गई है।

(ii) यदि उपखंड (i) के अधीन कुटुंब पेंशन मंजूर की गई है तो कार्यालय अध्यक्ष किसी भी स्थायी रूप से निःशक्त बालक या बालकों और आश्रित माता-पिता तथा निःशक्त सहोदरों के नाम कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में सम्मिलित करेगा, यदि कुटुंब का कोई अन्य सदस्य नहीं हो जिसे ऐसे निःशक्त बालक या बालकों या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पहले पेंशन संदेय हो गई हो।

(3)(i) जहां कुटुंब पेंशन प्राप्त करने वाली कोई विधवा या विधुर पुनर्विवाह करती/करता है और पुनर्विवाह के समय उसके मृत सरकारी सेवक या पेंशनभोगी से बालक है या हैं, जो कुटुंब पेंशन का/के पात्र है या हैं तो पुनर्विवाहित व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों की ओर से कुटुंब पेंशन लेने का/की

पात्र होगा/होगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे बालक या बालकों का संरक्षक बना रहता/बनी रहती है।

(ii) खंड (i) के प्रयोजनों के लिए पुनर्विवाहित व्यक्ति कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप 14 में आवेदन इस घोषणा के साथ करेगा कि आवेदक ऐसे बालक/बालकों का/की संरक्षक बना रहा/बनी रही है।

(iii) यदि पुनर्विवाहित व्यक्ति किसी भी कारण से ऐसे बालक या बालकों का/की संरक्षक नहीं रहता/रहती है, तो कुटुंब पेंशन ऐसे बालक या बालकों के तत्समथ प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संरक्षक के रूप में कार्य करने के हकदार व्यक्ति को संदेय हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति कार्यालय अध्यक्ष को कुटुंब पेंशन के संदाय के लिए प्ररूप 14 में दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) यदि कुटुंब पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति कोई अव्यस्क है या नानसिक रूप से विच्छृंखलता या निशक्तता से ग्रसित है या मद्बुद्धि है तो संरक्षक ऐसे व्यक्ति की ओर से प्ररूप 14 में दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

(5) जहां किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की मृत्यु पर कोई अवशिष्टीय उपदान नियम 50 के उपनियम (2) के अधीन मृतक के कुटुंब को संदेय हो जाए वहां कार्यालय अध्यक्ष अवशिष्टीय उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों से प्ररूप 22 में कोई दावा या दावे प्राप्त करने पर उसके संदाय मंजूर करेगा।

(भ) प्ररूप 5 में, "उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व" शब्दों के स्थान पर "सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व" शब्द रखे जाएंगे।

(म) प्ररूप 14 में,-

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

"सरकारी सेवक या पेंशनभोगी की मृत्यु पर या कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता पर कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए आवेदन का प्ररूप"

(ii) मद 1 की उपमद (iv) के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) सरकारी सेवक/पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख/कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता की तारीख।"

[फा0स0 1/10/2013-पीएडपीडब्ल्यू(इ)]

02/12/13
(वदना शर्मा)
संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में फा0आ0 934, तारीख 1 अप्रैल, 1972 में प्रकाशित किए गए थे। जुलाई, 1988 तक संशोधित नियमों का चौथा संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था। उक्त नियम तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे, अर्थात् :-

1. फा0आ0 254, तारीख 4 फरवरी, 1989
2. फा0आ0 970, तारीख 6 मई, 1989

- 3 का0आ0 2467, तारीख 7 अक्टूबर 1989
- 4 का0आ0 899, तारीख 14 अप्रैल 1990
- 5 का0आ0 1454, तारीख 26 मई 1990
- 6 का0आ0 2329, तारीख 8 सितंबर 1990
- 7 का0आ0 3269, तारीख 8 दिसंबर 1990
- 8 का0आ0 3270, तारीख 8 दिसंबर 1990
- 9 का0आ0 3273, तारीख 8 दिसंबर 1990
- 10 का0आ0 409, तारीख 9 फरवरी 1991
- 11 का0आ0 464, तारीख 16 फरवरी 1991
- 12 का0आ0 2287, तारीख 7 सितंबर 1991
- 13 का0आ0 2740, तारीख 2 नवंबर 1991
- 14 सा0का0नि0 677, तारीख 7 दिसंबर 1991
- 15 सा0का0नि0 399, तारीख 1 फरवरी 1992
- 16 सा0का0नि0 55, तारीख 15 फरवरी 1992
- 17 सा0का0नि0 570, तारीख 19 दिसंबर 1992
- 18 का0आ0 258, तारीख 13 फरवरी 1993
- 19 का0आ0 1673, तारीख 7 अगस्त 1993
- 20 सा0का0नि0 449, तारीख 11 सितंबर 1993
- 21 का0आ0 1984, तारीख 25 सितंबर 1993
- 22 सा0का0नि0 389(अ), तारीख 18 अप्रैल 1994
- 23 का0आ0 1775, तारीख 19 जुलाई 1997
- 24 का0आ0 259, तारीख 30 जनवरी 1999
- 25 का0आ0 964(अ), तारीख 30 सितंबर 2000
- 26 का0आ0 717(अ), तारीख 27 जुलाई 2001
- 27 सा0का0नि0 75(अ), तारीख 1 फरवरी 2002
- 28 का0आ0 4000, तारीख 28 दिसंबर 2002
- 29 का0आ0 860(अ), तारीख 28 जुलाई 2003
- 30 का0आ0 1483(अ), तारीख 30 दिसंबर 2003
- 31 का0आ0 1487(अ), तारीख 14 अक्टूबर 2005
- 32 सा0का0नि0 723(अ), तारीख 23 नवंबर 2006
- 33 का0आ0 1821(अ), तारीख 26 अक्टूबर 2007
- 34 सा0का0नि0 258(अ), तारीख 31 मार्च 2008
- 35 का0आ0 1028(अ), तारीख 25 अप्रैल 2008
- 36 का0आ0 329(अ), तारीख 12 अप्रैल 2010
- 37 सा0का0नि0 176, तारीख 11 जन 2011
- 38 सा0का0नि0 928(अ), तारीख 26 दिसंबर 2012
- 39 सा0का0नि0 938(अ), तारीख 27 दिसंबर 2012
- 40 सा0का0नि0 103(अ), तारीख 21 फरवरी 2014
- 41 सा0का0नि0 138(अ), तारीख 3 मार्च 2014
- 42 सा0का0नि0 233(अ), तारीख 28 मार्च 2014